इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 117]   भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 अप्रैल 2023—चैत्र 24, शक 1945

धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 अप्रैल 2023

क्र. एफ-3-37-2019-68-विभागीय आदेश 7-2-2012-छः—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 26 जून 2012 को प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7-2-2012-छः, दिनांक 25 जून 2012 द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना नियम, 2012 में एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना नियम, 2012 के परिशिष्ट (एक) में वर्णितएकल-तीर्थ स्थानों की सूची में निम्नानुसार तीर्थ स्थानों का नाम जोड़ा जाता है :—

(i) बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली.—	अम्बेडकर जन्मस्थली, महू
(ii) बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की दीक्षाभूमि.—	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर ग्रंथालय एवं शोध केन्द्र, नागपुर.
(iii) बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की महापरिनिर्वाण भूमि.—	डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक, नई दिल्ली
(iv) बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की चैत्यभूमि.—	डॉ. अम्बेडकर स्मारक, इंदुमिल कम्पाउण्ड, मुम्बई
(v) संत रविदास मंदिर, वाराणसी	

शेष शर्तें पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-7-2-2012-छः, दिनांक 26 जून 2012 के अनुसार रहेंगी.

म. प्र. शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के द्वारा अधिसूचित श्रीलंका के सीता मंदिर, अशोक वाटिका तथा अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया यात्रा नियम, 2011 में राज्य शासन एतद्द्वारा बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की शिक्षा भूमि लंदन में स्थित 10 किंग हेनरीज रोड पर स्थित स्मारक को शामिल किया जाता है. उक्त तीर्थ स्मारक की यात्रा के संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ -2-27-2011 छै:-1, दिनांक 16 दिसम्बर, 2011, अधिसूचना क्रमांक एफ-3-23-2016-छै: दिनांक 31 मई, 2016 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ-3-80-2016-छै: दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 दिनांक के प्रावधान लागू होंगे.

उक्त अधिसूचना 14 अप्रैल, 2023 से लागू होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पुष्पा कुलेश, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.